



उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

'विद्युत नियामक भवन' निकट आईएसबीटी, पो0 आ0 माजरा, देहरादून-248171
फोन 0135-2641115 फ़ैक्स 2641314 website : www.uerc.gov.in, E-mail : secy.uerc@gov.in

सार्वजनिक सूचना

आयोग द्वारा निर्गत प्रारूप उविनिआ (नवीकरण ऊर्जा स्रोतों तथा गैर जीवाश्म-ईंधन आधारित-सह-उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) (छठवां संशोधन) विनियम, 2016 [Draft UERC (Tariff and Other Terms for Supply of Electricity from Renewable Energy Sources and non-fossil fuel based Co-generating Stations) (Sixth Amendment) Regulations, 2016, पर सुझाव आमंत्रण।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 (2)(zp) सपठित धारा 86 (1)(e) के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यधारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् आयोग द्वारा प्रारूप, उविनिआ (नवीकरण ऊर्जा स्रोतों तथा गैर जीवाश्म-ईंधन आधारित- सह-उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) (छठवां संशोधन) विनियम, 2016 जारी किया गया है। प्रारूप संशोधित विनियम आयोग की वेबसाईट www.uerc.gov.in में अपलोड किया गया है।

- उक्त प्रारूप संशोधित विनियम पर सभी स्टैकहोल्डर्स अपने सुझाव/आपत्तियाँ/प्रतिवेदन, अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 04.11.2016 तक लिखित रूप से डाक द्वारा, ई-मेल या स्वयं उपस्थित होकर उपरोक्त पते पर आयोग के विचारार्थ प्रेषित कर सकते हैं।
- निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त सुझावों/आपत्तियों/प्रतिवेदनों पर प्रारूप विनियम को अन्तिम रूप देते समय, आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

वि0सं0: 17/2016-17

सचिव